प्रतिवेदन प्रारूप-11

(20)

कार्य का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत मैन्दोली–परिन्दा–बौठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक निर्माण हेतु 1.800हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

उपरोक्त कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 5571।।।(2)/11–13 (प्रा0आ0)/2006टी0सी0– ।दिनांक 25.11.2011 द्वारा प्रथम चरण हेतु 4किमी0 के लिए रू0 50.32 लाख प्राप्त हुई है। यह मार्ग मैन्दोली–परिन्दा–बौठा मोटर मार्ग के किमी0 10 से आरम्भ होकर लैन्सडौन–डेरियाखाल–रिखणीखाल मोटर मार्ग के किमी0 7.00 में स्थित एच0पी0बैण्ड पर समाप्त होता है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग 3किमी0 लम्बाई में ही लक्षित ग्राम डेरियाखाल के पास पहुंच रहा है। मोटर मार्ग के 1.00 किमी0 लम्बाई तक ग्राम बौठा की नाम भूमि पड़ती है, एवं किमी0 2 एवं 3 में आरक्षित वन भूमि पड़ती है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्रान्तर्गत पड़ता है। जिसमें विभिन्न प्रकार की भूमि का मदवार क्षेत्रफल विवरण निम्नवत है :–

क0सं0	भूमि का प्रकार	लम्बाई किमी0 में	चौड़ाई मी0 में	क्षेत्रफल हे0 में
1.	आरक्षित वन भूमि	2.00	9.00	1.80
2.	नाप भूमि	1.00	9.00	0.90
	योग	**3.00**	**9.00**	**2.70**

यह क्षेत्र अत्यन्त दुर्गम एवं पिछड़ा है जहां यातायात की कोई सुविधा नही है। स्वीकृत मोटर मार्ग में दो संरेखण प्रस्तावित किये गये जिसमें दोनों संरेखणों में आरक्षित वन भूमि पड़ रही है। जिनकी विस्तृत आख्या निम्न है :–

संरेखण नम्बर–1(स्वीकृत संरेखण) :– यह संरेखण ग्राम बौंठा के पास से प्रारम्भ होता है, जिसमें 1.00 किमी0 लम्बाई में ग्राम बौठा के कास्तकारों की नाप भूमि पड़ती है, एवं 2 किमी0 लम्बाई में आरक्षित वन भूमि पडती है। उक्त 2.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग संरेखण के लगभग 2किमी0 ऊपर की तरफ एवं लगभग 1.50 किमी0 नीचे की तरफ भी आरक्षित वन भूमि पड़ती है। अतः संरेखण को आरक्षित वन भूमि के अलावा अन्य भूमि पर ले जाना सम्भव नही है। संरेखण को आरक्षित वन भूमि के ऊपर अथवा नीचे ले जाने के लिए अधिक मात्रा में एच0पी0बैण्ड देने की आवश्यकता थी, जिसके कारण मार्ग की अधिक लम्बाई की आवश्यकता होती एवं मार्ग निर्माण की लागत भी अधिक होती अर्थात स्वीकृत लम्बाई में यह सम्भव नही था। इस संरेखण के मार्ग में प्रभावित होने वाली वन भूमि में वैकल्पिक संरेखण–2 की अपेक्षा वृक्षों की संख्या काफी कम है। अतः मार्ग निर्माण हेतु संरेखण न0 1 ही उपयुक्त है।

संरेखण नम्बर–2 (वैकल्पिक संरेखण) :– यह संरेखण भी ग्राम बौठा के पास से प्रारम्भ होता है, जिसमें 0.80 किमी0 लम्बाई में ग्राम बौठा की नाप भूमि पड़ती है एवं 2.20 किमी0 लम्बाई में आरक्षित वन भूमि पड़ती है। इस संरेखण में 4एच0पी0 बैण्ड पड़ते है। जिसके कारण मार्ग की निर्माण लागत अधिक आ रही है एवं मार्ग के संरेखण 1 की अपेक्षा अधिक लम्बाई में आरक्षित वन भूमि पड़ रही है अर्थात संरेखण नम्बर 2 मे अधिक लागत एवं अधिक लम्बाई में आरक्षित वन भूमि जिसमें अधिक वृक्षों के पातन की सम्भावना है। इस दृष्टि से संरेखण न0–2 मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत नही होता है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0 लैन्सडौन गढ़वाल।	सहायक अभियन्ता प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0 लैन्सडौन गढ़वाल।	अधिशासी अभियन्ता प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0 लैन्सडौन गढ़वाल।